85

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1048/III/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 185/07-08 अपील

1- बैजनाथ गर्ग पुत्र श्री रमेश गर्ग

निवासी -पाली रोड श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

2- सुमन कुमार पुत्र श्री किशनलाल राय

निवासी - अम्बाह तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

-- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन

2- मंगल सिंह पुत्र श्री परसराम

3- महेश पुत्र श्री परसराम

दोनो निवासीगण- ग्राम रामपुरा, तहसील व जिला - श्योपुर (म.प्र.)

4- रामनारायण पुत्र श्री रामप्रताप

निवासी - गोई मोहल्ला तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री बी.एन.त्यागी शासकीय सूची अभिभाषक प्रत्यर्थी क्रमांक 1

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक प्रत्यर्थी क्रमांक 2 व 3

श्री आर.एस.सेंगर अभिभाषक प्रत्यर्थी क्रमांक 4

आदेश

(आज दिनांक ...6./05/2016)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 185/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.03.2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा देवीराम आदि के आवेदन पत्र के आधार पर ग्राम जटा खेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 305 रकबा 0.345 है0 की नोईयत रास्ता से काबिल कास्त की गयी है, इस आदेश के विरूद्ध परसराम द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 27.03.2010 से स्वीकार की जाकर कलेक्टर श्योपुर का आदेश अपास्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3- अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश का अवलोकन किया गया।

4- शासन के सूची अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि वर्तमान प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को नही है इसलिये प्रकरण सुनवाई योग्य नही है।

5- विचार योग्य यह है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड मुरैना विरूद्ध म.प्र. राज्य

क्रमश :---2

2012 आर.एन. 385 में व्यवस्था दी है "Maintainability of appeal – order pased by Revenue Officer under provision of M.P. Revenue Book Circulars – appeal against such order is maintainable before Board of Revenue." अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेशो के विरुद्ध अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है इसके कारण सूची अभिभाषक का तर्क माने जाने योग्य नही है।

6- अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 1/86-84/अ-60 में पारित आदेश दिनांक 28.02.1987 के अवलोकन कर पाया गया कि देवीराम, सीताराम लक्ष्मीनारायण पुत्रगण गोरधन के आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा संहिता की धारा 237 के अधीन कार्यवाही की गयी थी। आवेदन पत्र के अनुसार ग्राम जटा खेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 305 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा शासकीय रास्ता है जिसे काबिल कास्त कराना चाहा गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार श्योपुर कला से प्रकरण के संबंध में विधिवत् जॉच करायी गयी है तथा उन्होने नोईयत प्रतिवेदन की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन दिनांक 31.12. 1986 में की गयी है। प्रतिवेदन के अनुसार मौके का निरीक्षण कर पाया गया कि आवेदित भूमि के बगल से सड़क निकल जाने के कारण आवेदित भूमि वर्तमान में रास्ते के प्रयोजन में न आकर इस भूमि पर खेती की जा रही है इस परिवर्तन के संबंध में सर्व साधारण को जानकारी हेतु विज्ञाप्ति जारी की गयी थी किन्तु कोई आपत्ति नहीं आयी। ग्राम पटवारी द्वारा अपने कथन में इस भूमि पर खेती करना बताया गया है इससे स्पष्ट है कि भूमि काबिल कास्त है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना अनुशंसा प्रतिवेदन दिनांक 27.02.1987 को

क्रमशः

कलेक्टर न्यायालय में प्रेषित किया है इसमें उल्लेख किया
था कि आवेदित भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में नही
आ रही है कारण यह है कि इस सर्वे नं. की भूमि से लगी
हुयी श्योपुर पाली रोड बनी हुयी है पूर्व में जब रोड नहीं
बनी होगी तब सर्वे नं. 305 रास्ते के उपयोग में हो रहा
होगा वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकला है यह
भूमि सड़क के साथ पट्टी के रूप में है खेती के अलावा
अन्य कोई उपयोग संभव नही है भूमि की नोईयत परिवर्तन
की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में
की गयी है। इस प्रकार अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा विधिवत्
जॉच प्रतिवेदनो के आधार पर आदेश दिनांक 28.02.1987
पारित किया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त
चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो
स्पष्टतः अवधि बाह्य थी जिसके संबंध में कोई पर्याप्त
कारण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र में
नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्पष्टतः
अवधि बाह्य होने से मात्र इसी बिन्दु पर निरस्त किये जाने
योग्य थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 में स्पष्ट किया है
कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता
की प्रकृति-वैवेकिक है। पक्षकार बिलंब माफी के लिये
अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का
सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित
वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त
है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम
अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बड़ा
सकता। ऐसी स्थिति में आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का
आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकरण में
प्रत्यर्थी क्रमांक 4 रामनारायण की ओर से आदेश 1 नियम

10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का निवदेन किया गया था जो आदेश दिनांक 01.09.2015 से स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया है उपरोक्त पक्षकार द्वारा भूमि पर पुस्तैनी कब्जा बताया जा रहा है यदि वह प्रकरण आवश्यक पक्षकार थे तब ऐसी स्थिति में उन्हे अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षकार बनाये जाने का आवेदन दिया जाना चाहिये था। जो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयो में प्रस्तुत नही किया है जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है तो अवैध कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई वैधानिक अधिकार अथवा स्वत्व प्राप्त नही होते ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में रामनारयण को कोई वैधानिक स्वत्व नहीं है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश में उल्लेख किया है कि किसी एक ग्राम वासी को निस्तार पत्रक में रूपान्तरण कराने का अधिकार नहीं है जबकि इस प्रकरण में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन पत्र नहीं दिया गया है बल्कि आवेदन पत्र देवीराम सीताराम एवं लक्ष्मीनारायण की ओर से प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा की गयी है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र व्यक्ति विशेष का न होकर ग्राम पंचायत का माना जावेगा प्रकरण में स्थल की विधिवत् जॉच करायी जाकर अधीनस्थ प्राधिकारियों के अनुशंसा प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है अतः ऐसे विधिवत् आदेश को बिना किसी कारण के अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना वैधानिक त्रुटि की है इसलिये आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.

क्रमशः

03.2010 अपास्त किया जाकर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/86-87/अ-60 में पारित आदेश दिनांक 28.02.1987 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर